राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/सामान्य/राजपत्रित/09/ दिनांक :

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।

विषय :– सहायक लेखाधिकारियों की मासिक मीटिंग दिनांक 19.06.09 को निर्धारित मीटिंग में सूचना लाने बाबत।

––– : : ––– : : –––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि दिनांक 19.06.09 को सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक वित्तीय सलाहकार द्वारा रखी गई हैं, उस मीटिंग में सहायक लेखाधिकारियों को सम्भाग की निम्नांकित सूचनाओं सहित उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें और इस निदेशालय में होने वाली समस्त मासिक मीटिंगों में इन सूचनाओं को लेकर आने वाले सहायक लेखाधिकारियों को ही उपस्थिति प्रमाण पत्र दिया जायेगा, जो निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा जारी किया जायेगा बिना उपस्थिति प्रमाण पत्र के किसी भी सहायक लेखाधिकारी को यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1. पेंशन प्रकरण संबंधी सूचना।
2. विभागीय जांच/प्रा0जांच की सूचना।
3. अंकेक्षण पैरा, महालेखाकार, निदेशक कोष एवं लेखा/आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदन।
4. स्वैच्छा पूर्वक अनुपस्थित चिकित्सकों की सूचना।
5. भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्रियान्वित योजनाओं में वित्तीय अनियमितता के संबंध में विस्तृत विवरण।
6. मेडिकेयर रीलिफ सोसायटी के लेखा संबंधी विवरण।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक : ई/सामान्य/राजपत्रित/09/224 दिनांक : 15/06/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय/एनआरएचएम/आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी, आरसीएच को भेजकर लेख हैं कि दिनांक 19.06.09 को सांय 3 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल प्रथम में उपस्थित होकर अपने–अपने कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को लेख हैं कि उक्त संलग्न को इन्टरनेट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।